विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों एवं चार अध्यायों में तैयार किया गया है। अध्याय 1 में पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन'' एवं ''तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली'' पर एक वृहद् प्रस्तर शामिल है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी सम्मिलित है। अध्याय 3 में शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 4 में ''कानपुर मण्डल के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों'' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों पर अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष का सार–संक्षेप नीचे दिया गया है:

अध्याय 1: पंचायती राज संस्थाओं के लेखे एवं वित्त का विहंगावलोकन

पंचायती राज संस्थाओं हेतु मॉडल लेखांकन संरचना यथा प्रियासॉफ्ट आंशिक रूप से कार्यान्वित थी।

(प्रस्तर 1.5)

नमूना–जाँच किये गये 149 क्षेत्र पंचायतों एवं 1,187 ग्राम पंचायतों में वार्षिक बजट तैयार नहीं किये जा रहे थे।

(प्रस्तर 1.9.1)

पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2009–14 की अवधि में ₹ 2,484 करोड़ निधियाँ कम हस्तान्तरित की गयी थी जो की 3 से 26 प्रतिशत के मध्य थी।

(प्रस्तर 1.10.2)

अध्याय 2: पंचायती राज संस्थाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा, वृहद प्रस्तर एवं अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

वर्ष 2009–14 के दौरान, कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.94 करोड़ में से ₹ 1,867.90 करोड़ योजना के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया था। मैंचिग राज्यांश एक से चार माह विलम्ब से अवमुक्त किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.7.3 और 2.1.7.4)

राज्य स्वच्छता मिशन और 10 जनपदों की जिला स्वच्छता समितियों का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कालातीत हो गया था तथा नवीनीकरण पिछले दो से सात वर्षो में नही कराया गया था। सूचना, शिक्षा एवं संचार और क्षमता संवर्धन के लिये ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना भी जून 2014 तक नही की गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

नमूना जाँच जनपदों में वर्ष 2012–14 के दौरान निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के लिये 1.62 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के सापेक्ष 0.84 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था (48 प्रतिशत की कमी)। अग्रेतर एपीएल परिवारों के लिये नियोजित 2.96 लाख व्यक्तिगत शौचालयों मे से 1.56 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया था (47 प्रतिशत की कमी)। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत मार्च 2012 तक 23 लाख बीपीएल शौचालयों का निर्माण कराया गया था जिसमें से बेसलाइन सर्वे 2013 के अनुसार 12.18 लाख (53 प्रतिशत) शौचालय निष्क्रिय पाये गये।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के साथ कन्वर्जेंस के अन्तर्गत धनराशि ₹ 15.84 लाख समय से उपलब्ध नही करायी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप 35,200 व्यक्तिगत शौचालयों का प्रावधान चयनित जनपदों में नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.10.3)

जिला कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायतो के कार्यो के लिए प्राप्त केन्द्रांश के साथ मैचिंग राज्यांश हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। जबकि नमूना जांच की गयी 10 जिला स्वच्छता मिशनों द्वारा वर्ष 2010–14 के दौरान धनराशि हस्तांतरित करते समय 2.42 लाख रूरल पैन/पाइपों के क्रय हेतु ₹ 10.93 करोड़ की कटौती की गयी थी, यद्यपि यह अनुमन्य नही था।

(प्रस्तर 2.1.10.4)

सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों को दृढ़तापूर्वक लागू नहीं किया गया था। राज्य में वर्ष 2009–14 के दौरान उपलब्ध ₹ 239.09 करोड़ में से सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों पर केवल ₹ 83.55 करोड़ व्यय किया गया था (35 प्रतिशत)।

(प्रस्तर 2.1.11.1)

लेखा परीक्षा द्वारा किये गये लाभार्थी सर्वेक्षण में 438 लाभार्थियों को प्रदान किये गये व्यक्तिगत शौचालय नहीं पाये गये थे। 2,644 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में 1,266 लाभार्थियों द्वारा खुले मे शौच जाने की बात कही गयी।

(प्रस्तर 2.1.12)

अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप योजना की प्रगति धीमी रही। योजना का मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया, यद्यपि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह अपेक्षित था।

(प्रस्तर 2.1.13.2 एवं 2.1.13.5)

2.2 ''तीन जिला पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली'' पर वृहद प्रस्तर

धीमी गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण तीन जिला पंचायतों में मार्च 2014 तक ₹ 36.18 करोड़ अनुपयोगी रहा।

(प्रस्तर 2.2.4, 2.2.15 एवं 2.2.27)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत ₹ 13.52 करोड़ की 124 परियोजनाए मार्च 2014 तक अपूर्ण थी।

(प्रस्तर 2.2.7.1 एवं 2.2.18.1)

राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 19.95 करोड़ की 233 परियोजनाएं मार्च 2014 तक अपूर्ण थी।

(प्रस्तर 2.2.7.2, 2.2.18.2 एवं 2.2.30)

नमूना जांच किए गए ग्राम पंचायतों में अचल संपत्ति पंजिका का रख–रखाव न किये जाने के कारण ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.2.14, 2.2.26 एवं 2.2.37)

2.3 अनुपालन लेखापरीक्षा

वर्ष 2008–09 की अवधि में जिला पंचायत रामपुर में दुकानों के निर्माण पर किया गया ₹ 11.61 लाख का व्यय दुकानें आवंटित नहीं होने के कारण अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.3.1)

वर्ष 2009–10 की अवधि में जिला पंचायत संत कबीरनगर में ₹ 28.98 लाख के व्यय के द्वारा अधोमानक सी.सी. सडक का निर्माण किया गया था जो कि समय से पहले क्षतिग्रस्त हो गयी और बाद में ₹ 20 लाख का परिहार्य व्यय कर के मरम्मत की गयी।

(प्रस्तर 2.3.2)

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित विशिष्टियों का अनुपालन न करने के कारण जिला पंचायत, अलीगढ़ में ₹ 35.07 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.3.3)

वर्ष 2011–12 की अवधि में क्षेत्र पंचायत नारखी, जिला फिरोजाबाद में समान मजदूरों के नाम एवं समान क्रियान्वयन तिथि वाले दो उपस्थिति पंजिका पर ₹ 1.01 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.3.4)

अध्याय 3. शहरी स्थानीय निकायों के लेखे एवं वित्त का विंहगावलोकन

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2012–14 के दौरान निजी स्रोतो के अर्न्तगत राजस्व प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.4.5)

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रपत्रों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.5)

अध्याय 4: शहरी स्थानीय निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1 ''कानपुर मण्डल के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों'' की निष्पादन लेखापरीक्षा

कानपुर नगर निगम

कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 3563.06 करोड़ के सापेक्ष मात्र 90 प्रतिशत धनराशि का ही उपभोग किया गया था। अग्रेतर वर्ष 2009–14 के दौरान कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा की गयी स्वयं के राजस्व की कुल माँग क्रमशः ₹ 919.05 करोड़ एवं

₹ 768.52 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 41 तथा 61 प्रतिशत की कमी थी। सम्पत्ति कर के लिए निर्धारित समयांतराल पर वार्षिक किराया मूल्य को संशोधित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.7.1 एवं 4.1.7.2)

वर्ष 2009–10, 2011–12 एवं 2012–13 के बजट अनुमान कार्यकारिणी समिति एवं निगम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए। वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 के बजट अनुमान कार्यकारणी समिति को क्रमशः 81 दिन एवं 70 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.7.3)

वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक के वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण माह नवम्बर 2014 तक नहीं किया गया था। वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण 27 माह विलम्ब से सितम्बर 2012 में किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.7.4)

वार्षिक विकास योजनायें तैयार नहीं की गयी थी यद्यापि नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत इन्हे तैयार किया जाना आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.8)

ठेका प्रबन्धन अनुचित था, जैसे ₹ 13.74 करोड़ के 150 निर्माण कार्यो के अनुबन्ध, कार्य प्रारम्भ से पूर्व हस्ताक्षरित नहीं थे एवं ₹ 5.15 करोड़ के 75 अनुबंध कार्य समाप्त होने के पश्चात हस्ताक्षरित किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.9.2)

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन अनुचित था जैसे वर्ष 2010–14 के दौरान कुल उत्पन्न 1,979.35 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष 746.86 हजार मीट्रिक टन (38 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट शहर में असंग्रहित था। अग्रेतर, शहर से संग्रहित कुल 1,232.49 हजार मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष 425.68 हजार मीट्रिक टन (35 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट पर फेका हुआ पड़ा था।

(प्रस्तर 4.1.11.1)

कानपुर नगर निगम में पेयजल की सुविधा अपर्याप्त थी। जलकल विभाग द्वारा कुल आवश्यकता 520 मिलियन लीटर प्रतिदिन के सापेक्ष मात्र 424 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी जबकि उसकी स्थापित क्षमता 638 मिलियन लीटर प्रतिदिन की थी। जलापूर्ति में कमी का कारण जलकल विभाग की घरेलू/बड़े उपभोक्ताओं को जल संयोजन प्रदान करने में विफलता थी।

(प्रस्तर 4.1.12.1)

निगम एवं कार्यकारणी समितियों की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी। मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2009–14 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.15)

नगर पालिका परिषद

नमूना जाँच की गयी तीन नगर पालिका परिषदों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 113.53 करोड़ के सापेक्ष मात्र 89 प्रतिशत धनराशि का उपभोग किया गया था। इनमें स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 13.84 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में आठ प्रतिशत की कमी थी। अग्रेतर सम्पत्ति कर की निर्धारण सूची भी पाँच वर्ष के नियत समयांतराल पर संशोधित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.16.1 एवं 4.1.16.2)

नगर पालिका परिषदों कायमगंज एवं कन्नौज में क्रमशः वर्ष 2009–14 एवं 2010–14 की अवधि के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.16.4)

नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों में वार्षिक विकास योजनायें तैयार की गयी थी परन्तु इन्हे म्युनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.17)

नमूना जाँच की गयी नगर पालिका परिषदों में म्युनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.21)

नगर पंचायत

नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 55.54 करोड़ के सापेक्ष मात्र 79 प्रतिशत धनराशियों का उपभोग किया गया था। नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में स्वयं के राजस्व की कुल माँग ₹ 6.15 करोड़ के सापेक्ष कर संग्रह में 37 प्रतिशत की कमी थी।

(प्रस्तर 4.1.22.1 एवं 4.1.22.2)

नगर पंचायत कमालगंज, तालग्राम एवं तिर्वागंज द्वारा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे।

(प्रस्तर 4.1.22.4)

नगर पंचायत कमालगंज में वर्ष 2009–14 के दौरान वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गयी थी। नगर पंचायत अटसु, इकदिल, शिवली, तालग्राम एवं तिर्वागंज में वार्षिक विकास योजना तैयार की गयी थी परन्तु इन्हें म्युनिसिपलिटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत आवश्यक था।

(प्रस्तर 4.1.23)

नमूना जाँच की गई नगर पंचायतों में म्युनिसिपलिटी की आवश्यक बैठकें निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 4.1.25)

4.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

उचित नियोजन के अभाव में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि ₹ 35.61 लाख का अवरोधन।

(प्रस्तर 4.2.1)

बिना आवश्यकता का आकलन किये दुकानों का निर्माण कराने से छः से नौ वर्षों तक बिना आवंटन के कारण निष्फल व्यय तथा बाद में बिना प्रीमियम लिये दुकानों के आवंटन के कारण ₹ 21.35 लाख की राजस्व हानि।

(प्रस्तर 4.2.2)

नगर पालिका परिषद, अयोध्या, फैजाबाद में मार्ग प्रकाश के अपूर्ण कार्य के कारण ₹ 62.42 लाख का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर 4.2.3)